



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127012

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2709 वर्ष 2026

वासुदेव मुर्जानी

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: रज़ा हसनैन, सदरुल इस्लाम जाफरी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची पुनरीक्षित की गई।
2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.आई. जाफरी (वरिष्ठ अधिवक्ता) और उनकी मदद के लिए श्री रज़ा हसनैन, तथा राज्य के अधिवक्ता श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। उनकी दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड देखे गए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. 16.03.2026 के आदेश के तहत प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को नोटिस भेजा गया था। 27.05.2026 की ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को नोटिस व्यक्तिगत रूप से मिल गया है। यह रिपोर्ट 'फ्लैग X' के तौर पर साथ लगी है। इस न्यायालय ने इस बारे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की 26.05.2026 की रिपोर्ट देखी है। प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को नोटिस मिलने के सबूत के तौर पर कर्नलगंज पुलिस स्टेशन, कमिश्नरेट कानपुर नगर की 24.05.2026 की रिपोर्ट भी उस रिपोर्ट के साथ लगी है। इस तरह, नोटिस की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को नोटिस मिलने के बावजूद, दोबारा बुलाए जाने पर भी उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। न्यायालय मामले की सुनवाई आगे बढ़ाती है।

4. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता **वासुदेव मूरजानी** द्वारा दायर की गई है। इसमें अपील को मंजूर करने और कानपुर नगर के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एकट द्वारा 17.01.2026 को दिए गए फैसले और आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। यह आदेश मुकदमा अपराध संख्या 301/2024 (पुलिस स्टेशन काकादेव, जिला कानपुर नगर) से संबंधित है, जो बीएनएस की धारा 85, 80(2), डी.पी. एकट की धारा 3/4 और एससी/एसटी एकट की धारा 3(2)(वी) के तहत दर्ज किया गया था। साथ ही, इस मामले में अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने की भी प्रार्थना की गई है।

5. इस मामले में नीरज सागर ने 06.12.2024 को अपीलकर्ता सुनीता मूरजानी (सास), रमेश मूरजानी (ससुर), देवीदास मूरजानी (जेठ) और हर्षा मूरजानी (जेठानी) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि उनकी बहन सोनी सागर की शादी 21.11.2023 को अपीलकर्ता से हुई थी, जिसमें तोहफे, दहेज, सोने-चांदी के गहने और 5 लाख रुपये नकद दिए गए थे। आरोपी कम दहेज मिलने की बात कहकर उसे परेशान करते थे और जातिसूचक गालियां देते

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थे। वे अक्सर उसके साथ मारपीट भी करते थे। उसकी बहन ने उसे और अपने माता-पिता को इस बारे में बताया था। जब उन्होंने ससुराल वालों से बात की, तो उन्होंने कम दहेज मिलने की शिकायत की और कहा कि उनके बेटे की शादी दूसरी जगह तय हो रही है, जहां ज्यादा दहेज, घर और ज़मीन मिल रही है। आरोपी उसे परेशान करते और मारपीट करते थे; उन्होंने मांग की कि दहेज में 15 लाख रुपये और कार लाई जाए और जब तक यह मांग पूरी न हो, वह वापस न आए। इसके बाद उसकी बहन अपने मायके लौट आई। लोगों के दखल के बाद, वे उसे यह कहकर वापस ले गए कि दो दिन में 15 लाख रुपये दे दिए जाएं। 15.12.2024 को सुबह करीब 4:30 बजे, उसके पति वासुदेव ने उसके पिता श्री सागर को फोन करके बताया कि उसकी बहन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है और उन्हें वहां आ जाना चाहिए। जब वे वहां पहुंचे, तो देखा कि आरोपी उसकी बहन की लाश कमरे से बाहर निकाल रहे थे। वासुदेव ने कहा कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। असल में, आरोपियों ने उसकी बहन की हत्या की थी, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी। रिपोर्ट दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए।

6. मृतका का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें उसकी गर्दन पर फंदे का निशान और बाईं कोहनी के जोड़ के पिछले हिस्से पर रगड़ का निशान पाया गया। मौत का कारण दम घुटने और नसों में खून जमा होने का मिला-जुला असर बताया गया, जो मरने से पहले फांसी लगाने और उससे जुड़ी जटिलताओं के कारण हुआ था।

7. अपील करने वाले के अधिवक्ता का कहना है कि भले ही अपील करने वाला मृतक महिला का पति है, लेकिन उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इनक्वेस्ट (मृत्यु-जांच रिपोर्ट) का हवाला **अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देते हुए कहा गया है कि कॉलम संख्या 2 में यह लिखा है कि मौत की जानकारी वासुदेव ने दी थी, जो मृतक महिला का पति और इस मामले में अपील करने वाला है। इसके अलावा, कानपुर के गोविंद नगर स्थित निरंकारी भवन के केयरटेकर अशोक कुमार मारवाह के बयान का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मृतक महिला और अपील करने वाले की शादी निरंकारी भवन, गोविंद नगर में हुई थी, जिसमें परिवार और मिशन के लोग मौजूद थे। शादी के दौरान दोनों पक्षों के बीच दहेज को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि मिशन दहेज प्रथा के खिलाफ है। साथ ही, विचारण न्यायालय में पीडब्लू-1 के तौर पर दर्ज पहले सूचना देने वाले नीरज सागर के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि मृतक महिला अक्सर बीमार रहती थी और वासुदेव उसे रोज़ थरेपी सेंटर ले जाता था, जैसा कि उसने जिरह के दौरान बताया है। यह भी कहा गया है कि मृतक महिला लंबे समय से बीमार थी और यही उसके आत्महत्या करने की वजह थी। उन्हें रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या थी, जिसका इलाज चल रहा था; हलफनामे के पैरा 19, 20, 21 और 22 न्यायालय के सामने पेश किए गए हैं। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी श्रीमती सुनीता मूरजानी (मृतका की सास) और रमेश कुमार मूरजानी (मृतका के ससुर) को इस न्यायालय की अलग-अलग बेंचों ने ज़मानत दे दी है। यह ज़मानत अपराधिक अपील संख्या 4158/2025 (श्रीमती सुनीता मूरजानी बनाम यूपी राज्य व अन्य) और 8141/2025 (रमेश कुमार मूरजानी बनाम यूपी राज्य व अन्य) में क्रमशः 25.08.2025 और 09.10.2025 को पारित आदेशों के तहत दी गई थी; इन आदेशों की कॉपी हलफनामे के साथ एनेक्शर 12 के तौर पर लगाई गई है। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है (जैसा कि हलफनामे के पैरा 31 में बताया गया है) और वह 15.01.2025 से जेल में है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. इसके उलट, राज्य के अधिवक्ता ने अपील में ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया और कहा कि अपील करने वाला व्यक्ति मृत महिला का पति है। यह बताया गया कि महिला की मौत शादी के एक साल और एक महीने के अंदर उसके ससुराल में हुई। यह भी कहा गया कि महिला की बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी कि उसे आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े। अपील करने वाले पर दहेज की मांग करने का आरोप है। मौत अप्राकृतिक थी। इसलिए, ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी जानी चाहिए।

9. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह साफ़ है कि अपील करने वाला व्यक्ति मृत महिला का पति है। महिला की मौत शादी के एक साल और एक महीने के अंदर उसके ससुराल में हुई। महिला की बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी कि उसे आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े। जिन सह-आरोपियों को ज़मानत मिली है, वे सास और ससुर हैं, जबकि अपील करने वाला पति है। दहेज की मांग का आरोप है और मौत अप्राकृतिक है। मुझे नहीं लगता कि यह ज़मानत देने लायक मामला है।

10. मामले की पूरी स्थिति और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखते हुए, मैं अपील करने वाले को ज़मानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं हूँ।

11. तदनुसार जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।

12. लंबित याचिकाएँ, यदि कोई हों, निस्तारित कर दी गई हैं।

12 जून, 2026

एम. आरिफ

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।